



आयकर विभाग ने 'ऑपरेशन क्लीन मनी' के दूसरे चरण में उच्च नकदी जमाओं के मामलों पर कार्रवाई प्रारंभ की

Posted On: 14 JUL 2017 6:54PM by PIB Delhi

आयकर विभाग (आईटीडी) ने "ऑपरेशन क्लीन मनी" (ओसीएम) के दूसरे चरण में वित्तीय लेनदेन के विवरण (एसएफटी) के आधार पर 5.56 लाख नए लोगों की पहचान की है। ये वो लोग हैं जिन्होंने नोटबंदी के दौरान बड़ी मात्रा में नकदी जमा कराई थी। उनके कर विवरण और उनकी नकदी जमाओं में असंगति पायी गयी है। इसके अतिरिक्त 1.04 लाख अन्य लोगों की पहचान भी की गई है, जिन्होंने ओसीएम के पहले चरण में ई-सत्यापन के दौरान सभी बैंक खातों का खुलासा नहीं किया था। पहले चरण में 17.92 लाख लोगों की पहचान ई-सत्यापन के लिए की गई थी, जिनमें से 9.72 लाख लोगों ने ऑनलाइन जवाब जमा करा दिए हैं।

उपरोक्त मामलों और खातों के संबंध में जानकारी पोर्टल <https://incometaxindiaefiling.gov.in> पर ई-फाइलिंग विंडो में उपलब्ध कराई गई है। खाताधारक पोर्टल के "अनुपालन" खंड के "नकद लेनदेन 2016" के लिंक का उपयोग करके जानकारी प्राप्त कर सकता है। करदाता आयकर विभाग के कार्यालय गए बगैर भी अपना जवाब ऑनलाइन जमा कर सकता है। सभी पहचान किए गए व्यक्तियों को ईमेल और एसएमएस के माध्यम से सूचना दी जा रही है ताकि वे अपना जवाब ऑनलाइन दे सकें।

स्वैच्छक अनुपालन को बढ़ावा देने के लिए निम्न जानकारीयां प्रेषित की गई हैं:

- बैंक खातों में 2 लाख या इससे अधिक जमा की गई नकदी का विवरण आयकर रिटर्न (आईटीआर) में देना आवश्यक है। इस विवरण की तुलना आयकर विभाग के पास उपलब्ध जानकारी से की जाएगी।
- करदाता यह सुनिश्चित करें कि नोटबंदी के दौरान बैंक खातों में जमा राशि का विवरण (आय की गणना) आईटीआर में भी दिया गया है। इस तरह जमा की गई राशि को कर चुनाने के दौरान करयोग्य आय में जोड़ा जाना चाहिए।
- उपर्युक्त अवधि में जमा की गई नकद राशि का पूर्ण और सत्य विवरण आईटीआर में दिया जाना चाहिए।

'ऑपरेशन क्लीन मनी' के पोर्टल (<https://www.cleanmoney.gov.in>) का शुभारंभ 16 मई 2017 को किया गया। इस पोर्टल की निम्नलिखित विशेषताएं हैं:-

- एक ही स्थान पर चरणबद्ध तरीके से **सम्पूर्ण जानकारी**, सामान्य तौर पर पूछे जाने वाले प्रश्न, उपयोगकर्ता के लिए मार्गदर्शिका, त्वरित संदर्भ मार्गदर्शिका और सत्यापन प्रक्रिया तथा अन्य मुद्दों से संबंधित प्रशिक्षण।
- नागरिक सहभागिता को सक्षम करना ताकि कर-अनुपालन करने वाले समाज का निर्माण किया जा सके और जहां हर भारतीय कर भुगतान करने में गर्व का अनुभव करता हो। नागरिक दूसरे नागरिकों की भागीदारी सुनिश्चित करते हुए उन्हें शिक्षित कर अपने अनुभवों को साझा करते हुए व इससे संबंधित जानकारी उपलब्ध कराते हुए 'ऑपरेशन क्लीन मनी' को समर्थन प्रदान करने की शपथ लें।
- उपलब्ध विवरणों को साझा करते हुए तथा नकद जमा आंकड़ों का विश्लेषण करते हुए एक पारदर्शी कर प्रशासन सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

वीके/जेके/आरएन-2096

(Release ID: 1495672) Visitor Counter : 11

